HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए धोखाधडी से पैसे हडपने के मामले में 02 अभियुक्तो को 05–05 वर्ष का कारावास व 25,000–25,000/–रुपये (कुल–50,000/–रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 19-11-2025 को मा0 न्यायालय द्वारा धोखाधडी से पैसे हडपने के मामले में 02 अभियुक्तो को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

- दिनांक 30-07-2021 को अभियुक्तगण 1–विनित पुत्र विजयपाल निवासी के–11ए/08 कोयल एन्कलेव लोनी रोड थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद 2. आशीष पुत्र रविन्द्र निवासी सलानगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद द्वारा धोखाधडी से पैसे हडपने की घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 381/2000 धारा 420/406/419/467/468/471/120बी भादवि व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 19.06.2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 19-11-2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय सीजेएम हापुड़ द्वारा 05–05 वर्ष का कारावास व 25,000–25,000/–रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री घनश्याम (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरी0 रीता यादव एवं पैरोकार म0का0 प्रभावती व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 अमित कुमार का विशेष योगदान रहा।